

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 3-2/2010/बयालीस(1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक

संचालक,
तकनीकी शिक्षा,
सतपुड़ा भवन (चौधी मंजिल),
मध्यप्रदेश भोपाल.

संस्थागत वित्त विभाग
मध्यप्रदेश
आवक क्रमांक 3211
दिनांक 18.7.2013

विषय: उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना योजना।

::-0-::

मध्यप्रदेश शासन, द्वारा उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु उच्च शिक्षा ऋण वित्त विभाग के माध्यम से स्वीकृत किया जाकर इसकी गारंटी राज्य शासन द्वारा ली जाती है। इस हेतु संबंधित छात्र/छात्रा के अभिभावक एवं शासन के मध्य त्रि-पक्षीय अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाता है।

निर्देशानुसार विभाग की ओर से उक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु संचालक तकनीकी शिक्षा को अधिकृत किया जाता है।

(अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा अनुमोदित)

(आर.एस.नरवरिया)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 18/7/13

क्रमांक एफ 3-2/2010/बयालीस(1)
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. संचालक, संस्थागत वित्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग